2011:**CGHC**:454

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

दांडिक विविध याचिका क्रमांक 203/2011

याचिकाकर्ता - अमरजित सिंह उम्र 48 वर्ष पिता सरदार हरबंस सिंह रंधावा निवासी मकान नं. 82, सेक्टर 27 ए, चंडिगढ ।

बनाम

उत्तरवादी - जसजित सिंह उम्र 54 वर्ष पिता सरदार रनविर सिंह निवासी तेलिबंधा रायपुर छत्तीसगढ ।

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित – अधिवक्ता विक्रम के. चौधरी के साथ मोहीत दीवान अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

एकल पीठ : माननीय टी.पी. शर्मा न्यायाधीश

आदेश

(दिनांक 20 अप्रेल 2011 को पारित किया गया)

1. इस याचिका के द्वारा याची ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता, 1973') की धारा 482 के अंतर्गत दांडिक शिकायत मामला संख्या 183/2011 के खंडन की प्रार्थना की है, जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर के न्यायालय में लंबित है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने याची के विरुद्ध संज्ञान लिया है मुख्यतः क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के अभाव और संहिता की धारा 202(1) में निहित अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन न होने के आधार पर दिनांक 28-10-2010 के आदेश द्वारा प्रक्रिया जारी की है ।

2. उत्तरवादी की ओर से दायर शिकायत की प्रति के अनुसार, चंडीगढ़ स्थित आवास की किरायेदारी से संबंधित विवाद का समाधान हो गया था और याची ने उत्तरवादी के पक्ष में दिनांक 28-08-2010 को 90 लाख रुपये का चेक जारी किया, जिसे दिनांक 24-08-2010 को आईएनजी व्यास्या बैंक लिमिटेड, शाखा रायपुर में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया, वही चेक धनराशि की अपर्याप्तता और आहर्ता अर्थात यहां के याची के हस्ताक्षर में अंतर के आधार पर नामंजूर हो गया। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 138 के तहत आवश्यक नोटिस याची को दिया गया जिसे याची ने दिनांक 16-9-2010 और दिनांक 17-9-2010 को प्राप्त किया। अंत में, अधिनियम की धारा 138 के तहत शपथ-पूर्वक साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेजों के साथ शिकायत दायर की गई। उत्तरवादी के शपथ-पूर्वक साक्ष्य के आधार पर, अधीनस्थ न्यायालय ने संज्ञान लिया है और विवादित आदेश द्वारा याची के विरुद्ध आदेशिका जारी की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को युना है, याचिका एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने बलपूर्वक तर्क देते हुए कहा कि मूल विवाद चंडीगढ़ स्थित आवास से संबंधित है, शिकायत के अनुसार, कथित 90 लाख रुपये के चेक को याची द्वारा चंडीगढ़ में जारी किया गया था और याची का खाता पंजाब एंड सिंध बैंक, शाखा चंडीगढ़ में है। उत्तरवादी रायपुर में रहता है, उसने रायपुर स्थित बैंक के समक्ष चेक प्रस्तुत किया और रायपुर से नोटिस जारी किया। ये तथ्य अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए रायपुर स्थित न्यायालय को अधिकार-क्षेत्र प्रदान नहीं करते। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अधिनियम 2005 का 25, दिनांक 23-6-2006 से प्रभावी हुआ और इस संशोधित प्रावधान के अनुसार, शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने

वाले मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करना स्थगित करे, और या तो स्वयं मामले की जाँच करे या एक पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच कराने का निदेश दे और ऐसे मामले में जहाँ अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर स्थित किसी स्थान पर रहता है जिसमें मजिस्ट्रेट अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयोग करता है, यह प्रावधान अनिवार्य है। यदि अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर स्थित किसी स्थान पर रहता है जिसमें मजिस्ट्रेट अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयोग करता है, तो संहिता की धारा 202 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं मामले की जाँच करना या पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच कराने का निदेश देना अनिवार्य है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता या उसके साक्षियों की परीक्षा नहीं की है, उसने संहिता की धारा 202 के तहत जाँच नहीं की या जाँच का निदेश नहीं दिया और इस तरह गंभीर अवैधता की है। इन परिस्थितियों में, संज्ञान लेने का आदेश और ऐसे न्यायालय के समक्ष आपराधिक शिकायत का लंबित रहना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर अवैधता की है और याची को गंभीर पूर्वाग्रह पहुँचाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **श्री ईशर एलॉय स्टील्स लिमिटेड बनाम जयस्वाल्स नेको लिमिटेड**[1] में पारित निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (**a**) में वर्णित "बैंक" का अर्थ आहर्ता-बैंक होगा जिस पर चेक तैयार किया गया है, न कि वे सभी बैंक जहाँ चेक संग्रहण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्राप्तकर्ता का बैंक भी शामिल है, जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **आदलत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल एवं अन्य**[2] में पारित निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के

[1] 2001 AIR (SC) 1161
[2] (2004) 7 SCC 338

विरुद्ध कोई आरोप या अभियुक्त को फँसाने वाले किसी साक्ष्य के बिना या संहिता की धारा 200 और 202 के प्रावधानों के उल्लंघन में संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट का आदेश, संहिता की धारा 482 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके दोषपूर्ण साबित किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने **एम/एस. हारमन इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड एवं अन्य बनाम एम/एस. नेशनल पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड** [3]के में पारित निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी स्थान से नोटिस का केवल जारी होना अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के विचारण हेतु अधिकार-क्षेत्र प्रदान नहीं करता और न्यायालयों को इस तथ्य पर विचार करना आवश्यक है कि क्या कार्यवाही का कारण या उसका कोई भाग उस स्थान पर उत्पन्न हुआ जहाँ शिकायतकर्ता ने शिकायत दायर की है या नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने **एस.के. भौमिक बनाम एस.के. अरोड़ा एवं अन्य**[4] में पारित निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 202 के तहत जाँच किए बिना, जो कि अनिवार्य है, उस अभियुक्त के विरुद्ध, जो उसके क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर रहता है, आदेशिका जारी नहीं कर सकता। विद्वान अधिवक्ता ने आगे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध संख्या एम-76891/2009 (सवेरा सिद्धू बनाम हरलीन सिद्धू एवं अन्य) में दिनांक 14-10-2010 को पारित आदेश पर भरोसा किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियुक्त मजिस्ट्रेट के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रहता है, तो मजिस्ट्रेट या तो स्वयं मामले की जाँच करेगा या एक पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे वह उचित समझे, जाँच कराने का निदेश देगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियुक्त के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[3] 2009 AIR (SC) 1168
[4] 2007 (4) R.C.R. (Criminal) 650

6. जैसा कि आदलत प्रसाद (पूर्वोक्त) के मामले में तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की शृंखला में अभिनिर्धारित किया गया है, उपयुक्त मामलों में, संहिता की धारा 482 के तहत याचिका का विचार अंतरिम आदेश या किसी भी आदेश के विरुद्ध भी किया जा सकता है (**i**) संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए; (**ii**) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; और (**iii**) अन्यथा न्याय सुनिश्चित करने के लिए।

7. वर्तमान मामले में, संज्ञान लेने और आदेशिका जारी करने के आदेश की प्रति, शिकायत की प्रति, याची को जारी नोटिस की प्रति और चेक के नामंजूर होने से संबंधित बैंक द्वारा दी गई जानकारी की प्रति के अनुसार, याची ने दिनोक 20-8-2010 को पंजाब एंड सिंध बैंक, शाखा चंडीगढ़ से संबंधित 90 लाख रुपये का चेक जारी किया, वही चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया और चेक नामंजूर हो गया। याची को नोटिस दिया गया, लेकिन याची ने नोटिस का पालन नहीं किया। उत्तरवादी द्वारा की गई शिकायत को अधिनियम की धारा 145 के तहत आवश्यक और अनुमेय शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य से समर्थित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. संहिता की धारा 202 को अधिनियम 2005 का 25, द्वारा दिनांक 23-6-2006 से प्रभावी रूप से जाँच/अन्वेषण और ऐसे मामले में जहाँ अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर रहता है जिसमें मजिस्ट्रेट अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयोग करता है, से संबंधित करके संशोधित किया गया है। विधायिका द्वारा प्रविष्ट प्रावधान में '**shall**' शब्द का प्रयोग किया गया है। संहिता की धारा 202 का उपधारा (1) इस प्रकार है:

> **202. आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना**-(।) यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा ।92 के अधीन उसके हवाले किया गया है, ठीक समझता है तो '[और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी

स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है] अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है :

परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निदेश वहां नहीं दिया जाएगा--

(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है; अन्यथा

(ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की (यदि कोई हो) धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 एक विशेष अधिनियम है और शिकायत करने तथा संज्ञान लेने के लिए विशेष प्रक्रिया परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अध्याय **XVII** में प्रदान की गई है। अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिनियम की धारा 142 के तहत एक विशेष प्रावधान किया गया है, जिसका संहिता पर प्रभावी प्रभाव है। अधिनियम की धारा 142 इस प्रकार है:

142. अपराधों का संज्ञान –(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी –

(क) कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, चेक पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में किये गए लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नही ,

(ख) ऐसा परिवाद उस तारीख के एक मास के भीतर कीया जाता है जिसको धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के अधीन वाद हेतुक उद्भूत होता है ,

परंतु न्यायालय द्वारा किसी परिवाद का संज्ञान विहित अवधी के पश्चात् लिया जा सकेगा यदि परीवादी न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधी के भीतर परिवाद नही करने का पर्याप्त कारण था ।

(ग) महानगर मजिस्टे्रट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्टे्रट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नही करेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अधिनियम की धारा 145 और 146 संहिता पर प्रभावी प्रभाव रखने वाली विशेष प्रक्रिया का आगे उपबंध करती हैं। अधिनियम की धारा 145 के अनुसार, शिकायतकर्ता का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ-पत्र पर हो सकता है और सभी न्यायोचित अपवादों के अधीन रहते हुए, उक्त संहिता के तहत किसी भी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। अधिनियम की धारा 146 के अनुसार, चेक के नामंजूर होने को दर्शाने वाला बैंक का स्लिप प्राथमिकी साक्ष्य है। अधिनियम की धारा 145 और 146 इस प्रकार हैं: -

145. शपथपत्र पर साक्ष्य – (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ पत्र पर दिया जा सकेगा और सभी न्याय संगत अपवादों

के अध्याधीन उक्त संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढा जा सकेगा ।

(2) न्यायालय यदि वह उचित समझे, अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे किसी व्यक्ति को जो शपथ पर साक्ष्य देता है, समन करेगा और उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा करेगा ।

146. बैंक की पर्ची का कतिपय तथ्यों के लिये प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होना - न्यायालय इस अध्याय के अधीन प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में बैंक की पर्ची या ज्ञापन के , जिसमें यह ध्योतन करने वाला शासकीय चिन्ह हो कि चेक अनादरित हो गया है, प्रस्तुत किये जाने पर ऐसे चेक का अनादर होने की तथ्य की अवधारणा करेगा जब तक की ऐसे तथ्य को नासाबित न कर दिया गया हो ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मामलों का सारांश रूप में विचारण करने की विशेष प्रक्रिया भी अधिनियम की धारा 143 में प्रदान की गई है और समन जारी करने की विधि अधिनियम की धारा 144 में प्रदान की गई है, जिनका भी संहिता पर प्रभावी प्रभाव है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एक सामान्य विधि है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 एक विशेष विधि है जो अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने और विचारण की पूर्ण प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर प्रभावी प्रभाव है। अधिनियम की धारा 145 के अनुसार, शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र पर साक्ष्य विचारण या कार्यवाही में अनुमेय है। अधिनियम की धारा 146 के अनुसार, चेक के नामंजूर होने के तथ्य को स्थापित करने के लिए बैंक का स्लिप भी प्राथमिकी साक्ष्य है।

12. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने अधिनियम की धारा 145 के अनुसार शपथ-पत्र पर साक्ष्य दिया है और उसने बैंक का स्लिप भी दायर किया है जो प्राथमिकी

साक्ष्य है। संहिता की धारा 202 के अनुसार, यदि अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर स्थित किसी स्थान पर रहता है जिसमें मजिस्ट्रेट अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयोग करता है, तो मजिस्ट्रेट को या तो स्वयं जाँच करने या एक पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच कराने का निदेश देने की आवश्यकता है। विधायिका ने संहिता की धारा 202 को अधिनियम 2005 का 25 द्वारा संशोधित किया है और उस स्थिति में जहाँ अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर स्थित किसी स्थान पर रहता है जिसमें मजिस्ट्रेट अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयोग करता है, '**shall**' (अनिवार्य रूप से) शब्द का प्रयोग किया है।

13. **शिवजी सिंह बनाम नागेंद्र तिवारी और अन्य**[5] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने, संहिता की धारा 202 में प्रयुक्त शब्द "**shall**" के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि प्रक्रियात्मक प्रावधान का उल्लंघन निष्पक्ष सुनवाई के अभाव का कारण नहीं बनता या पक्षकारों को पूर्वाग्रह नहीं पहुँचाता, तो ऐसे प्रावधान को, "**shall**" शब्द के प्रयोग के बावजूद, अनुदेशात्मक माना जाना चाहिए। उक्त निर्णय का कंडिका 7 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "7. हमने संबंधित दलीलों पर विचार किया है। दंड प्रक्रिया संहिता अपने नाम से ही दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि का एक संग्रह है। इसमें निहित प्रावधानों की व्याख्या इस सुविख्यात निर्माण नियम को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए कि प्रक्रियात्मक विधान मूल्यवान न्याय करने के लिए होते हैं। यदि प्रक्रियात्मक प्रावधान का उल्लंघन निष्पक्ष सुनवाई के अभाव का कारण नहीं बनता या पक्षकारों को पूर्वाग्रह नहीं पहुँचाता, तो "**shall**" शब्द के प्रयोग के बावजूद, उसे अनुदेशात्मक माना जाना चाहिए।"

[5] (2010) 7 SCC 578

14. शिकायत के कंडिका 5 के अनुसार, याची ने उत्तरवादी को पंजाब एंड सिंध बैंक, शाखा चंडीगढ़ का 90 लाख रुपये का चेक जारी किया है जो नामंजूर हुआ है। उत तरवादी के शपथ-पत्र पर साक्ष्य के कंडिका 5 से पता चलता है कि याची ने उक्त 90 लाख रुपये का चेक रायपुर में दिया है जिसे उत्तरवादी ने रायपुर स्थित बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया और वह चेक नामंजूर हुआ है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने श्री ईशर एलॉय स्टील्स (उपर्युक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है, अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (क) में वर्णित 'बैंक' शब्द का अर्थ आहर्ता-बैंक है जिस पर चेक तैयार किया गया है, न कि वे सभी बैंक जहाँ चेक संग्रहण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्राप्तकर्ता का बैंक भी शामिल है, जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है। वर्तमान मामले में, बैंक का अर्थ चंडीगढ़ स्थित बैंक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का निर्णय करने के लिए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एम/एस. हारमन इलेक्ट्रॉनिक्स (उपर्युक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के मामले में, न्यायालय केवल इस आधार पर अधिकार-क्षेत्र प्राप्त नहीं करता कि शिकायतकर्ता ने उस स्थान से नोटिस जारी किया है, बल्कि न्यायालयों को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या कार्यवाही का कारण या उसका कोई भाग उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ जिसके समक्ष शिकायत दायर की गई है।

16. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता/उत्तरवादी के शपथ-पूर्वक साक्ष्य के अनुसार, याची ने कथित चेक रायपुर में दिया, वही चेक रायपुर स्थित बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उत्तरवादी ने अभियुक्त/याची को रायपुर से नोटिस भेजा। यद्यपि चंडीगढ़ में उत्पन्न विवाद के निपटारे हेतु चेक जारी किया गया था, लेकिन वह विवाद अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर वर्तमान मामले का विषय-वस्तु नहीं है। वर्तमान मामले में, विवाद चेक जारी करने, चेक के नामंजूर होने, नोटिस

दिए जाने और नोटिस दिए जाने के बाद चेक की राशि का भुगतान न होने से संबंधित है।

17. शिकायत और शपथ-पत्र पर साक्ष्य के अनुसार, याची ने उत्तरवादी को रायपुर में 90 लाख रुपये का चेक जारी किया और उत्तरवादी ने चेक का भुगतान हेतु रायपुर स्थित बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया, वही नामंजूर हुआ और उत्तरवादी ने याची को रायपुर से नोटिस दिया। वर्तमान मामले में, याची चंडीगढ़ में रहता है और आहर्ता-बैंक भी चंडीगढ़ में स्थित है, लेकिन कार्यवाही के कारण का अधिकांश भाग रायपुर स्थित न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ, न कि चंडीगढ़ में। इसलिए, रायपुर स्थित न्यायालय में ऐसे अपराध के विचारण का अधिकार-क्षेत्र नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 एक विशेष अधिनियम है जिसका अधिकांशतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर प्रभावी प्रभाव है। अधिनियम के तहत विशेष प्रक्रिया विहित की गई है और न्यायालय ने उक्त विशेष प्रक्रिया को अपनाया है जिसका संहिता पर प्रभावी प्रभाव है। यद्यपि विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 202 के अनुसार जाँच नहीं की या जाँच का निदेश नहीं दिया, लेकिन अधिनियम की धारा 145 और 146 के संदर्भ में शिकायतकर्ता के शपथ-पत्र पर साक्ष्य और बैंक के स्लिप प्राथमिकी साक्ष्य के प्रकाश में, वस्तुतः, याची के विरुद्ध आगे बढ़ने या आदेशिका जारी करने के लिए कोई और जाँच आवश्यक नहीं थी।

19. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के मामले में संहिता के प्रावधानों की लागूता के प्रश्न से निपटते हुए, अवरोधक खंड के दृष्टिगत, सर्वोच्च न्यायालय ने **दामोदर एस. प्रभु बनाम सय्यद बाबालाल एच.**[6] के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 147 में अवरोधक खंड के कारण, अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध के समाधान से संबंधित प्रावधान

[6] 2010 Cri L.J. 2860

संहिता की धारा 320 द्वारा शासित नहीं हैं। उक्त निर्णय का कंडिका 8 इस प्रकार है:

"8. इस बिंदु पर, यह स्पष्ट करना उपयुक्त होगा कि अवरोधक खंड के कारण, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अपराधों का समाधान धारा 147 द्वारा नियंत्रित है और दंड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 320 द्वारा परिकल्पित योजना सख्त अर्थों में लागू नहीं होगी क्योंकि बाद वाली भारतीय दंड संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों के लिए है। जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता का संबंध है, धारा 320 उन अपराधों से संबंधित है जो समाधेय हैं, या तो पक्षकारों द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना या पक्षकारों द्वारा लेकिन केवल न्यायालय की अनुमति से। धारा 320 की उपधारा (1) उन अपराधों को सूचीबद्ध करती है जो न्यायालय की अनुमति के बिना समाधेय हैं, जबकि उक्त धारा की उपधारा (2) उन अपराधों को निर्दिष्ट करती है जो न्यायालय की अनुमति से समाधेय हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 147 एक सक्षमकारी प्रावधान की प्रकृति में है जो उसी अधिनियम के तहत विहित अपराधों के समाधान का उपबंध करती है, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की उपधारा (9) में समाविष्ट सामान्य नियम के अपवाद के रूप में कार्य करती है जो कहती है कि 'इस धारा द्वारा उपबंधित के अलावा किसी भी अपराध का समाधान नहीं किया जाएगा'। इस प्रावधान का साधारण पाठ हमें इस अनुमान की ओर ले जाएगा कि भारतीय दंड संहिता के अलावा अन्य विधियों के तहत दंडनीय अपराधों का भी समाधान नहीं किया जा सकता। हालाँकि, चूंकि धारा 147 एक विशेष विधि में संशोधन के माध्यम से समाविष्ट की गई थी, वही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(9) के प्रभाव पर प्रभावी होगी, विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि धारा 147 में एक अवरोधक खंड है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 142, 143, 144 और 145 में अवरोधक खंड है "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी" और अवरोधक खंड के कारण, अधिनियम की धारा 145 और 146 के संदर्भ में साक्ष्य के आधार पर अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने हेतु जाँच, मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेना और अधिनियम की धारा 142 के अनुसार ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को प्रक्रिया जारी करना, संहिता के अध्याय **XV** के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं।

21. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एम/एस. हारमन इलेक्ट्रॉनिक्स (उपर्युक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है, वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान केवल रायपुर से नोटिस जारी होने के आधार पर नहीं, बल्कि याची द्वारा शिकायतकर्ता/उत्तरवादी को रायपुर में चेक जारी करने से संबंधित शिकायत में लगाए गए आरोप के आधार पर लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जैसा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एस.के. भौमिक (उपर्युक्त) और सवेरा सिद्धू (उपर्युक्त) के मामलों में अभिनिर्धारित किया है, संहिता की धारा 202 के प्रावधान स्वभाव से अनिवार्य हैं, हालाँकि अनिवार्य प्रावधानों के मामले में अभियुक्त/पक्षकार को यह दिखाना आवश्यक है कि विपरीत पक्ष द्वारा उक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने से उसे पूर्वाग्रह हुआ है।

23. वर्तमान मामले में, यहाँ तक कि अन्यथा भी, लंबे समय तक दलील देने के बाद, याची के अधिवक्ता यह दिखाने में सक्षम नहीं हुए हैं कि संहिता की धारा 202 में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करने से याची को क्या पूर्वाग्रह हुआ है।

24. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 एक विशेष अधिनियम है। अधिनियम का अध्याय **XVII** अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दंड, जाँच और विचारण की संपुष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 142 में निहित प्रावधान — अपराधों का संज्ञान लेना, अधिनियम की धारा 143 — मामलों

का सारांश रूप में विचारण करने की न्यायालय की शक्ति, अधिनियम की धारा 144 — समन जारी करने की विधि और अधिनियम की धारा 145 — शपथ-पत्र पर साक्ष्य, इन शब्दों से शुरू होते हैं "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी" अर्थात अवरोधक खंड जिसका प्रभावी प्रभाव है, संहिता द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। अधिनियम की धारा 145 और 146 में निहित प्रावधानों के प्रकाश में, शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र पर साक्ष्य और बैंक का स्लिप अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त हैं और संज्ञान लेने से पहले जाँच या अन्वेषण का निदेश देने के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है। इन परिस्थितियों में, मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने और याची के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने में कोई अवैधता नहीं की है। इसलिए, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर के न्यायालय में याची के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होगी या अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 202 के प्रावधानों का अनुपालन न करके याची को गंभीर पूर्वाग्रह पहुँचाते हुए गंभीर अवैधता नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. परिणामस्वरूप मुझे याचिका में कोई सार नहीं मिलता है यह खारिज किए जाने योग्य है अतः इसे खारिज किया जाता है।

सही/-
श्री टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Yashpal Singh

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur